न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—57 सन् 2021

बच्ची देवी..........................वादी।

बनाम

मनीष कुमार सिंह वो अन्य................प्रतिवादीगण।

दिनांक—01.12.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.06.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह तकरारी एराजी पर अपना हकियत वो कब्जा घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 01 बी0एस0एफ0 में नौकरी करते हैं तथा छुट्‌टी पर अपने घर आये हुए हैं वो मुकदमे की जानकारी भी रजिस्टर्ड नोटिस से हो चुकी है। इसी दरम्यान प्रतिवादी सं0 01 तकरारी भूमि पर निर्माण कर तकरारी भूमि का स्वरूप बदलने पर अमादे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में तकरारी भूमि का स्थल जांच प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर स्थल जांच प्रतिवेदन आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर मांग लेने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी तकरारी भूमि पर किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी भूमि का वर्तमान भौतिक स्थिति को अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में

कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 सं0 तकरारी भूमि पर निर्माण कर तकरारी भूमि का स्वरूप बदलने पर अमादे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी भूमि का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर लाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 19.06.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नवल किशोर सिंह को नियुक्त किया जाता है। वाद दिनांक..................को सुनवाई हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।